न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः– 5/17 वाद पत्र

उनवान

1–हीरालाल पिता श्रीकिशन ब्राहमण निवासी नारायण खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा **वादी**

बनाम

1–अम्बालाल पिता श्रीकिशन ब्राहमण निवासी नारायण खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर जिला भीलवाड़ा **प्रतिवादी**

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काशतकारी अधिनियम

उपस्थित **अधिवक्ता वादी**
फारूख मोहम्मद

निर्णय

दिनांक 22.06.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प नांदशा मे पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बाडिया कला पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खातेदार विजयसिंह पिता दुर्जनसिंह राजपूत निवासी बाडिया कला के खातेदारी अधिकारी एवं कब्जे काश्त की साबिक आराजी संख्या 1/1 रकबा साडेचार बीघा भूमि दर्ज रेकार्ड थी। प्रमाण मे नकल जमाबन्दी प्रस्तुत है। उक्त साबिक आराजियात को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 21.09.1990 को क्रय की जिसका नामान्तरण संख्या 478 मुझ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुआ तथा उक्त नामान्तरकरण का अमल दरामद जमाबन्दी सम्वत 2052 से 2055 मे किया गया प्रमाण मे जमाबन्दी प्रस्तुत है। भू प्रबन्ध के दौरान ग्राम बाडिया कला का भी भू प्रबन्ध हुआ जिसमें साबिक आराजी संख्या 1/1 के नवीन नम्बर 1 रकबा 0.92 कायम हुये। भू प्रबन्ध कर्मचारियो को राजस्व रेकार्ड मे गलत रूप से इन्द्राज करने का कोई विधिक अधिकार नही होते हुए भी उन्हौने वादी की खरीद शुदा आराजियात को रोटेशन की जमाबन्दी सम्वत 2057 से 2076 में मुझ वादी का नाम हटा दिया केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 1 अम्बालाल का ही नाम दर्ज कर दिया जो गलत है। जिसे पुनः दुरस्त कराने का वादी अधिकारी है इसी अनुरूप दुरस्ती कराने कि घोषणात्मक डिक्री जारी कराना आवश्यक हो गया है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो सगे भाई है। जिन्होने सामलाती रूप से साबिक आराजी संख्या 1/1 रकबा साडे चार बीघा भूमि पूर्व खातेदार विजयसिंह से जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के क्रय की लैकिन सेटलमेन्ट के दौरान नवीन जमाबन्दी मै वादी का नाम हट गया जिसे वादी पुनः राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करा खातेदार काश्तकार होने का अधिकारी है।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 18.01.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादी उपस्थित हुआ। राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2017 मे भी नोटिस जारी किये गये।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। ग्राम बाड़िया कंला पटवार हल्का नान्दशा की नवीन आराजी संख्या 1 रकबा 0.92 हे0 भूमि मे वादी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार के रूप मे समान हक से दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ। अतः

आदेश

ग्राम बाड़िया कंला पटवार हल्का नान्दशा की नवीन आराजी संख्या 1 रकबा 0.92 हे0 भूमि मे वादी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार के रूप मे समान हक से दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

22/6/17

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 22.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 5/17 वाद पत्र

उनवान

1–हीरालाल पिता श्रीकिशन ब्राहमण निवासी नारायण खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1–अम्बालाल पिता श्रीकिशन ब्राहमण निवासी नारायण खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादी द्वारा ग्राम बाड़िया कंला पटवार हल्का नान्दशा की नवीन आराजी संख्या 1 रकबा 0.92 हे0 भूमि मे वादी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार के रूप मे समान हक से दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

22/6/17

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

यह आज तारीख 22.06.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा